

86/2010 पीकाश्याम - काला-चौद

दिनांक

आज्ञा पत्र

16-7-18

कार/कार कोवाज दिलाई गई।
 कोपालास्ट एवं कोपालास्ट के वकील
 कोइ हाजिर नही किये। कते:
 कदम सुनने एवम् कदम पैरवी
 न्यायित होने से कोपाला रवायज
 की जाती है। कोपाला बाद तरीक
 तकमील दोरखल इफ्तार हो।
 निर्णय लइकाया जमा।



[Signature]
 अधिकारी एव
 अपील अधिकारी
 सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

